## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मोना , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2018 पुनः दर्ज 01/2019

**उनवान**

1. छीतर पुत्र नानू
3. गंगासहायक पुत्र मोहरा
4 सुगला पुत्र रामनाथ
5 केसरी पत्नी प्रभू
6 सुरेश पत्र प्रभू

समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं0 1 रावतेडा जोडा धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

**बनाम**

1 गंगासहाय पुत्र सोना जाति जाट निवासी दूनावाली वार्ड नं0 1 रावतेडा जोडा धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

2 राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा

3 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा धानोता तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010**

**उपस्थित :– 1 श्री सुरेन्द्रसिह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थीगण**
**2 श्री मंगलचन्द यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण**

आदेश दिनांक 1/10/2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत मय मौका रिपोर्ट मंगवान हेतु पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 817, 818, 819 कुल 2.53 है0 वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 की खातेदार भूमि ख0नं0 821 रकबा 1.14 है0वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा में से नया मार्ग खोलने का आशय का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क के अन्तर्गत पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर दिया गया ।

अप्रार्थीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 28.8.2018 को नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्रस्तावित प्रश्नागत रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत सुनवाई/बहस कर दिनांक 30.8.2019 को आराजी खसरा नम्बर 821 में से उत्तरी सीमा के सहारे 55 मीटर लम्बा तथा 3 मीटर चौडा कुल 155 वर्गमीटर रास्ता राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010के तहत नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से जमा कर अप्रार्थी को भुगतान किये जाने तथा भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.3.2018 के विरुद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील दायर की गई । माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

दिनांक 10.12.2018 के द्वारा अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.8.2018 को निरस्त कर प्रकरण में उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणवगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 10.12.2018 की पालना में उभय पक्षो को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया । अप्रार्थी सं0 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण में विवादित आराजी 821 पर केसीसी योजना के अन्तर्गत ऋण दिये जाने के कारण अप्रार्थी सं0 3के नाम रहन होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा रास्ता देना उचित पाये जाने पर ऋण की वसूली सुनिश्चित की जावे । प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 10.12.2018 में उल्लेखित बिन्दु जिसमें गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.8.2019 में रास्ता पूर्व से होना बताया है इस न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नही होने से प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई कि पूर्व में प्रस्तावित रास्ते खसरा नम्बर 821 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें । इस सम्बन्ध में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक राजस्व/19/ 1024 दिनांक 9.9.2019 के द्वारा प्रेषित की गई कि ख0नं0 817 से 819 में पहुँचने हेतु ख0नं0 824/1 गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो ख0नं0 817 की सीमा से 56 मीटर दूरी पर स्थित है। तहसीलदार शाहपुरा ने दूसरा वैकल्पिक मार्ग ख0नं0 758, 760, 765, 786 में से होना तथा मौके पर पूर्व में चालू था को वरवक्त मौका निरीक्षण पर ख0नं 786, 765, 760 तक ही चालू होना पाया गया । ख0नं0 760 के खातेदार हनुमान सहाय पुत्र नांगू जाति जाट ने रास्ते को बन्द कर दिया जाना बताया गया तथा 760 के खातेदार व 758 के खातेदार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई । ख0नं0 758 की खातेदारी मन्दिर नृसिंह जी के नाम दर्ज रिकार्ड में है तथा तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया कि वैकल्पिक दूसरे मार्ग से रास्ता ख0नं0 758, 760, 765, 786 में से दिये जाने पर कुल 1398 वर्गमीटर रहेगा तथा ख0नं0 821 में से रास्ता देने पर 168 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आती है जो दोनो में 1230 वर्गमीटर का अन्तर रहता है।

उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील अप्रार्थीगण से आपत्ति कुर्रेजात मौका रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि तहसीलदार शाहपुरा न तो मौके पर पहुँचा तथा न ही पक्षकारों को सूचित किया अपनी मनमर्जी से मौका स्थिति के विपरीत रिपोर्ट पेश की गई है । मौका रिपोर्ट 9.9.2019 में ख0नं0 760 में रास्ता बन्द बताया गया है वह गलत है बल्कि मौके पर रास्ता चालू है जो ख0नं0 786, [illegible]760,758,759से होता हुआ ख0नं0 819 तक रास्ता मौके पर चालू है । अतः रिपोर्ट 9.9.2019 को निरस्त कर तहसीलदार शाहपुरा से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार सबसे न्यून रास्ता प्रस्तावित आराजी ख0नं0 821 से [illegible] उचित है तथा प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 760 में ही बन्द है तथा यही रास्ता [illegible] सुगम व सरल होना जाहिर करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान अवगत कराया कि मात्र प्रकरण को निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र लगाये जा रहे है जबकि मौका रिपोर्ट विधिवत राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार शाहपुरा के माध्यम से न्यायालय में पेश की गई है । मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह सिद्व होता है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 821 से ही सबसे सीधा व सुगम है अन्य वैकल्पिक रास्ते में 1398 वर्गमीटर भूमि आने के साथ साथ काफी लम्बा व खर्चीला भी रहेगा । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पत्रावली में मौजूद गिरदावर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.7.2018 की ओर ध्यान आकर्षित करवाकर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 821 की उत्तरी सीमा पर ख0नं0 817 से 824 की सीमा तक पूर्व में रास्ता चालू था जिसे 821 के खातेदार गंगासहाय ने कुछ समय पूर्व यह रास्ता बन्द कर दिया गया है । तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 4.1.2017 को प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में सहमति पत्र भी दोनो पक्षों के मध्य हुआ है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने एतराज प्रार्थना पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित कर जाहिर किया कि मौके पर रास्ता मौजूद है रास्ता बन्द होने की रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा गलत पेश की गई है। दूसरे वैकल्पिक मार्ग ख0नं0 760 में रास्ता चालू है तथा इसी वैकल्पिक मार्ग को रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 821 में पूर्व यह रास्ता दोनो पक्षो की सहमति से चालू था तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ता सीधा व सरल तथा कम खर्चीला भी है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जयपुर राजस्थान

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक मार्ग की पहलू पर गौर करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता ख0नं0 760 के खातेदार द्वारा मौके पर बन्द कर दिया गया है जो तहसीलदार शाहपुरा की मौका रिर्पोट से साबित होता है । वकील अप्रार्थीगण का यह आक्षेप कि तहसीलदार द्वारा स्वंय मौका रिपोर्ट हेतु मौके पर नहीं गये तथा रिपोर्ट पटवारी गिरदावर द्वारा गलत रूप से तैयार की है ।

चूंकि प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह अपने अधीन कार्यरत पटवारी गिरदावर हल्का से तैयार करवाकर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भिजवाया गया है जो कि तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार होता है, तथा दौराने बहस व पत्रावली में मौजूद पत्रादि आदि के अवलोकन से जाहिर होतो है कि अप्रार्थीगण के द्वारा दूसरे प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग को ख0नं0 760 में बन्द कर रखा है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी से दूरी भी 1398 वर्गमीटर पड़ती है जो कि बहुत ही अधिक दूरी है तथा काफी ज्यादा भूमि रास्ते में जायेगी तथा जो कफी खर्चीली होने से इसका कौई औचित्य प्रतीत नहीं होता है साथ ही उक्त रास्ते से ख0नं0 758 जो कि मंदिर के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 821 में से मात्र 156 वर्गमीटर भूमि ही आती है तथा जो सुगम व नजदीक होने के साथ साथ कम खर्चीली होने से उक्त भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित समझते है एवं अप्रार्थी सं0 3 के नाम भूमि खसरा नम्बर 821 में से 168 वर्गमीटर कम करने से कोई विशेष प्रभाव भी नही पडेंगा तथा शेष भूमि यथावत संबंधित बैक के नाम रहन रखी रहेगी ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 (क) (1) अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 821 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 817 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक 56 मीटर लम्बा तथा 3 मीटर चौडाई में कुल 168 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि का तहसीलदार शाहपुरा वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर से भूमि का आंकलन कर उसकी दो गुना राशि प्रार्थीगण से जमा कर अप्रार्थी/खातेदार को भुगतान की कार्यवाही करेगे । तहसीलदार शाहपुरा दर्तमान में प्रचलित डी एल सी दर से रास्ते में आई भूमि का आकलन कर दो गुना राशि प्रार्थीगण से पूर्व में जमा राशि का समायोजन करते हुए शेष अन्तर राशि वसूल कर नियमानुसार अप्रार्थी को भुगतान किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर राजस्थान

( नरेन्द्र कुमार मीना )
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner